

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने एवं एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹11,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, **थाना कोतवाली नगर** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 290/2022 धारा**— 376,450,323,506 भा0द0सं0 व 3(2)5,3(1)द एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **1. किशन यादव पुत्र गनेश यादव** निवासी रमेड़ी डांडा थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को धारा-452,323,506 भा0द0सं0 व 3(2)5, एससीएसटी एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए **04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹11,000 के अर्थदंड** से दण्डित किया गया।



अभियोजक-विशेष लोक अभियोजक श्री विजय सिंह



विवेचक-सीओ रविप्रकाश



पैरोकार- थाना कोतवाली नगर का0 बिजमान सिंह